

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 481]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2014/भाद्र 26, 1936

No. 481]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2014/BHADRA 6, 1936

कृषि मंत्रालय

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 667(अ).-तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 24 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:

तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में अनुबंध-2 में खंड-2 में, पैरा 6 में "निरीक्षण दल ऐसे स्टाक को ऐसी किसी भी प्रक्रिया से नष्ट कर सकते हैं जैसा वे उपयुक्त महसूस करें" शब्दों के लिए "निरीक्षण दल ऐसे स्टाक को ज़ब्तकर, निबटारा और/या नष्ट सकते हैं जैसा वे उपयुक्त महसूस करें" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 33036/1/2008-मा.(टी-2)]

राजा शेखर वुन्द्र, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II,खंड-3, उप-खंड(i) में सा.का.नि. 740(अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 और तदुपरान्त सा.का.नि. 302(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2009, सा.का.नि 914(अ), दिनांक 18 दिसम्बर, 2009, सा.का.नि 280(अ), दिनांक 23 मार्च, 2012 और सा.का.नि. 695 (अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2012 को संशोधित करते हुए प्रकाशित किया गया था।

3728 GI/2014 (1)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2014

G.S.R. 667(**E**).—In exercise of the powers conferred by Section 3 read with section 24 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following further amendments to the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005, namely:—

In the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005, in Annexure-II, in Part II, in Para 6, for the words "the inspection team may destroy such stock by such methodas it thinks fit", the words "the inspection team may confiscate, dispose of and/or destroy the stock as it thinks fit"shall be substituted.

[F. No. 33036/1/2008-Fy (T-2)]

RAJA SEKHAR VUNDRU, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 740 (E), dated the 22nd December, 2005 and subsequently amended videnumber G.S.R. 302(E), dated the 30th April, 2009, G.S.R. 914(E), dated the 18th December, 2009, G.S.R. 280(E), dated the 23rd March, 2012 and G.S.R. 695(E), dated 14th September, 2012.